

न्यायालय :-मनीष कुमार सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला-बालाघाट

// विविध आदेश //

क्रमांक- /मु.न्या.मजि./2024

बालाघाट, दिनांक 05/04/2024

माह अप्रैल, 2024 के सार्वजनिक अवकाश दिवसों में दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक रिमांड कार्य निष्पादित करने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है। निम्न कॉलम क्रमांक-2 में दर्शाये गये न्यायिक मजिस्ट्रेट नियत दिनांक पर अपने स्टॉफ सहित दोपहर 03.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक स्वयं के न्यायालय में उपस्थित होकर सभी न्यायालय के रिमाण्ड कार्य जो उस सार्वजनिक अवकाश दिनांक को प्रस्तुत किये जायेंगे, निष्पादित करेंगे तथा निम्न कॉलम नम्बर-2 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थिति या अवकाश पर रहने पर कॉलम नंबर 4 में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है :-

| क्र. | रिमांड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट का नाम | सार्वजनिक अवकाश/रिमांड ड्यूटी की तिथि | वैकल्पिक व्यवस्था में रिमांड करने वाले मजिस्ट्रेट का नाम |
|-------------------------|---|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| बालाघाट मुख्यालय | | | |
| 1 | श्री विकास विश्वकर्मा, Jmfc.Bgt. | 07 एवं 14 अप्रैल, 2024 | श्री भुपेन्द्रसिंह, Jmfc.Bgt. |
| 2 | श्री भुपेन्द्रसिंह, Jmfc.Bgt. | 09, 11 एवं 17 अप्रैल, 2024 | श्री अविनाश छारी Jmfc.Bgt. |
| 3 | श्री अविनाश छारी Jmfc.Bgt. | 19, 21 एवं 28 अप्रैल, 2024 | श्री विकास विश्वकर्मा, Jmfc.Bgt. |
| तहसील वारासिवनी | | | |
| 1 | श्री शैलेन्द्र रैकवार Jmfc.Waraseoni | 07 एवं 14 अप्रैल, 2024 | श्री रौनक पाटीदार Jmfc.Waraseoni |
| 2 | श्री रौनक पाटीदार Jmfc.Waraseoni | 09, 11 एवं 17 अप्रैल, 2024 | सुश्री नेहा बात्री Jmfc.Waraseoni |
| 3 | सुश्री नेहा बात्री Jmfc.Waraseoni | 19, 21 एवं 28 अप्रैल, 2024 | श्री शैलेन्द्र रैकवार Jmfc.Waraseoni |
| तहसील बैहर | | | |
| 1 | श्री दयालसिंह सूर्यवंशी, Jmfc.Baihar. | 07 एवं 09 अप्रैल, 2024 | सुश्री कीर्ति उईके Jmfc.Baihar. |
| 2 | सुश्री कीर्ति उईके, Jmfc.Baihar. | 11, 14 एवं 17 अप्रैल, 2024 | श्रीमती शिवानी असाटी, Jmfc.Baihar. |
| 3 | श्रीमती शिवानी असाटी, Jmfc.Baihar. | 19, 21 एवं 28 अप्रैल, 2024 | श्री दयालसिंह सूर्यवंशी, Jmfc.Baihar. |
| तहसील कटंगी | | | |
| 1 | सुश्री सुधा पाण्डे Jmfc.Katangi. | 07, 09, 11 एवं 14 अप्रैल, 2024 | श्रीमती नेहा ठाकुर, Jmfc.Katangi |
| 2 | श्रीमती नेहा ठाकुर, Jmfc.Katangi | 17, 19, 21 एवं 28 अप्रैल, 2024 | सुश्री सुधा पाण्डे Jmfc.Katangi |

| तहसील लांजी | | |
|-------------|--|---|
| 1 | श्री धर्मेन्द्र नागवंशी, Jmfc.Lanji | 07, 09, 11, 14, 17, 19, 21 एवं 28 अप्रैल, 2024 |
| | | जिला मुख्यालय बालाघाट में रिमांड में उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट। |

नोट:-

01. किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का स्थानांतरण/अवकाश में होने पर उनके स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी कार्य-विभाजन पत्रक के परिशिष्ट-ब के अनुसार इंचार्ज मजिस्ट्रेट के द्वारा सम्पादित की जायेगी।

02. यदि किसी कारणवश माह अप्रैल, 2024 में नियत अवकाश के अलावा अन्य कोई सार्वजनिक/स्थानीय अवकाश घोषित होता है, तो उक्त घोषित अवकाश तिथि को बालाघाट मुख्यालय का रिमाण्ड कार्य श्री भुपेन्द्रसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बालाघाट, तहसील मुख्यालय वारासिवनी का रिमांड कार्य श्री रौनक पाटीदार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वारासिवनी, तहसील मुख्यालय बैहर का रिमांड कार्य सुश्री कीर्ति उर्डके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, तहसील मुख्यालय कटंगी का रिमांड कार्य सुश्री सुधा पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटंगी एवं श्री धर्मेन्द्र नागवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लांजी के द्वारा निष्पादित किया जावेगा।

03. यदि किसी कारणवश माह अप्रैल, 2024 में नियत अवकाश पर लांजी में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवश्यक कार्य आ जाने से वे माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की अनुमति उपरांत मुख्यालय से बाहर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में तहसील मुख्यालय लांजी का रिमाण्ड कार्य बालाघाट मुख्यालय में रिमांड कार्य संपादित करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जावेगा।

04. यदि किसी कारणवश माह अप्रैल, 2024 में किशोर न्याय बोर्ड बालाघाट के प्रधान मजिस्ट्रेट एवं दोनों सदस्य अवकाश के दिन मुख्यालय से बाहर रहते हैं तो किशोर न्याय बोर्ड बालाघाट से संबंधित रिमाण्ड कार्य बालाघाट मुख्यालय में रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निष्पादित किया जावेगा।

05. यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिमांड ड्यूटी सार्वजनिक अवकाश के दौरान लगाई गई है और उन्हें उक्त अवकाश दिवस में आवश्यक कार्य आ जाने से अवकाश के दौरान मुख्यालय के बाहर जाना है तो ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय से बाहर जाने के पूर्व उनके स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित सहमति अपने अवकाश आवेदन पत्र में लिखाये जाने के पश्चात् ही अपना आवेदन पत्र प्रेषित कर स्वीकृत होने के उपरांत ही मुख्यालय से बाहर जाएंगे।

06. दिनांक 19.04.2024 को लोकसभा क्षेत्र बालाघाट में मतदान का दिवस निर्धारित किया गया है। अतः उक्त तिथि में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से अवकाश आदेश की प्रत्याशा में उक्त तिथि में रिमाण्ड ड्यूटी लगाई गई है।

(मनीष कुमार सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बालाघाट(म0प्र0)

प्रतिलिपि:-

- 1- कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालाघाट की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 2- समस्त न्या.मजि.प्र.श्रे. एवं अधिवक्ता संघ, बालाघाट/वारासिवनी/बैहर/कटंगी/लांजी की ओर व्हाट्स-अप एवं ई-मेल द्वारा सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- नजारत अनुभाग बालाघाट/वारासिवनी/बैहर/कटंगी/लांजी की ओर व्हाट्स-अप एवं ई-मेल द्वारा सूचनार्थ प्रेषित।

(मनीष कुमार सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बालाघाट(म0प्र0)